

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलेक्टर, झुंझुनु

कमांक प12(3)(26)राज/2012/

दिनांक :- /10/2012

**संपरिवर्तन आदेश**

श्री अशोक कुमार जैफ पुत्र श्री बाबूलाल निवासी रवा तहसील खेतड़ी न ग्राम धासीराम का बास ग्राम पंचायत हरिपुरा तहसील मलसीसर स्थित भूमि ख0न0 148/128 रकबा 0.78 है0 किस्म बरानी-1 में से 0.7373 है0 (7373 वर्गमी0) भूमि का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। अतः आवेदक की स्वयं की खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9(g) एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना कमांक एफ6(6)रेव-6/92/पीटी/8 दिनांक 26.4.2011 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	श्री अशोक कुमार जैफ पुत्र श्री बाबूलाल निवासी रवा तहसील खेतड़ी
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	हां,
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा: (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम धासीराम का बास ग्राम पंचायत हरिपुरा तहसील झुंझुनु
	(ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खसरा संख्या 148/128 रकबा 0.78 है0
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	खसरा संख्या 148/128 रकबा 0.78 है0 में से 7373 वर्गमीटर (0.7373 है0)
	टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति	सलग्न है।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमीयम की रकम	चालान संख्या 105 दिनांक 26-10-12 राशि रूपये 78,000/- रूपये
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शारित यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं
9.	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	नहीं

- 10 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा:-
- (1) इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क मध्य से 25 मीटर चौड़ाई में आने वाली भूमि छोड़कर निर्माण कार्य किया जावेगा। तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप विधिवत पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जावे।
  - (2) यदि प्रार्थी नेशनल हाईवे से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
  - (3) निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उपविधियों की पालना करनी होगी। एवं निर्धारित माप दण्डों के अनुसार निर्माण कराया जावेगा।
  - (4) राजस्व विभाग के परिपत्र प.6(6)राज-6/92 पार्ट दिनांक 17-7-2007 की पालना सुनिश्चित की जावे स्थानीय प्रशासन से उक्त परिपत्र के अनुसार नक्शा अनुमोदित कराकर ही निर्माण कार्य कराया जावे तथा वर्षा पानी का संग्रहण व सौर उर्जा का प्रावधान सुनिश्चित करे।
  - (5) कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू भाग सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित रखना होगा।
  - (6) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन सम्पूहृत हो जायेगा।
  - (7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/ परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।
  - (8) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
  - (9) नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
  - (10) उपरोक्त शर्तों की पालना करने का दायित्व आवेदक का होगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

जिला कलेक्टर,

झुझुनू

दिनांक :- 30/10/2012

क्रमांक प 12(3)(26)राज/2012/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप खण्ड अधिकारी झुझुनू।
2. तहसीलदार/उप पंजीयक मलसीसर को पालनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट झुझुनू।
4. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड अलसीसर।
5. सम्रिय, ग्राम पंचायत हरिपुरा तह0 मलसीसर जिला झुझुनू।
6. श्री अशोक कुमार जैफ पुत्र श्री बाबूलाल निवासी रवां तहसील खेतड़ी को सूचनार्थ।
7. गार्ड फाईल

जिला कलेक्टर,

झुझुनू

जिला कलेक्टर

झुझुनू

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN**  
**REVENUE DEPARTMENT**

Certificate Ref. No: PCCL/2022-23/101341

Date: 13-09-2022

**FORM-D**

[See Rule 10(4)]

Office of Prescribed Authority: **SUB DIVISIONAL OFFICER, MALISAR**  
**REVISED CONVERSION ORDER**

On the application of **JAI NARAYAN S/O SURJA** of village **GHASIRAM KA BAS** Tehsil **MALISAR**, the agricultural land already converted for a non-agricultural purpose is here by converted for revised non-agriculture purpose under rule 10(4) of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules, 2007, the particulars of which are given as under:

S.No.	Name of Applicant Khatedar/Tenant:	Father's/ Husband's Name:	Social Category (SC/ST/GEN/OBC/etc..)	Complete Address
1	JAI NARAYAN	SURJA	ST	KHARIYA MALISAR, JHUNJHUNU

1. Purpose of original conversion: **COMMERCIAL PURPOSE**  
Number and Date of the order: **RUPA./2013/3/1578-82, 5/23/2013**
2. Revised Purpose of conversion: **INSTITUTIONAL PURPOSE & MEDICAL FACILITIES**
3. Details of the Land converted:
  - (a) Name of the District/ Tehsil/ Village: **JHUNJHUNU/ MALISAR/ GHASIRAM KA BAS**
  - (b) Khasra No. of the land: **178/12B**
  - (c) Area of each Khasra No. (in square meter): **998**
  - (d) Area converted of each Khasra No. (in square meter): **998**
  - (e) Area converted (in sq. meter): **998**
4. Rate of conversion payable on original conversion (₹): **10/-**
5. Amount of premium deposited with original conversion (₹): **9980/-**
6. Rate of conversion charges payable on revised conversion (₹): **5/-**
7. Amount of penalty deposited (₹), if any, with date and no. of challan: **0/-**
8. Amount of interest deposited (₹), if any, with date and no. of challan: **0/-**



Signature valid

Digitally Signed by **Sudha Kati Jai**  
Designation: **SUB DIVISIONAL OFFICER**  
**MALISAR**  
Date: **2022.09.13 16:52:15:1**  
Reason: **Approved**  
Location: **JHUNJHUNU**

Note: This is a digitally signed certificate and does not require any physical signature.